

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735,

विशेष दण्डिक वाद संख्या 113/2025

सरकार-----बनाम-----जितेन्द्र कुमार महेश्वरी आदि।

थाना कोतवाली देहात, बहराइच।

आरोप

मैं, पवन कुमार शर्मा-II, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम आप अभियुक्तगण **जितेन्द्र कुमार महेश्वरी, मनोज बंसल उर्फ मनोज कुमार तुल्स्यान, अरुण कुमार अग्रवाल व दीपक अग्रवाल** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ-

1- यह कि दिनांक 21.04.2025 समय करीब 12.30 बजे रात्रि, बहद स्थान लेजर रिजार्ट, थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच में आप सह अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा रोहित कुमार को स्वेच्छया मार पीट कर उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने बी०एन०एस० की धारा 115(2)/3(5) के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को भट्टी-भट्टी गालियाँ देकर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने बी०एन०एस० की धारा 352 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति का है, को जनदृष्टि में अपमानित करके जाति सूचक गालियाँ दी तथा मार पीटकर उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों का कृत्य धारा 3(1)(द ध), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं, एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त विरचित आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(पवन कुमार शर्मा-II)

दिनांक 22.06.2026

विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

अभियुक्तगण को उक्त आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिससे इन्कार करते हुए विचारण की माँग की गयी।

(पवन कुमार शर्मा-II)

दिनांक 22.06.2026

विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

विशेष दण्डिक वाद संख्या 113/2025

सरकार-----बनाम-----जितेन्द्र कुमार महेश्वरी आदि।

थाना कोतवाली देहात, बहराइच।

21.06.2026 रविवार अवकाश।

22.06.2026

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण **जितेन्द्र कुमार महेश्वरी, मनोज बंसल उर्फ मनोज कुमार तुल्स्यान, अरुण कुमार अग्रवाल व दीपक अग्रवाल** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण को धारा 230 बी.एन.एस.एस.(207 द०प्र०सं०) के अनुपालन में नकले प्रदान की गयी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अपना कथन आरम्भ करते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले साक्ष्य का उल्लेख किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर सम्यक विचार करने के उपरान्त मैं, इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण **जितेन्द्र कुमार महेश्वरी, मनोज बंसल उर्फ मनोज कुमार तुल्स्यान, अरुण कुमार अग्रवाल व दीपक अग्रवाल** के विरुद्ध बी०एन०एस० की धारा 115(2)/3(5), 352 एवं धारा 3(1)(द ध), 3(2)(va)एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित करने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है, तदनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया जाये।

पत्रावली दिनांक 25-08-2026 को अभियोजन साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हो। आरोप पत्र के क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित अभियोजन साक्षीगण उक्त तिथि के लिए जरिए सम्मन आहूत हो।

(पवन कुमार शर्मा-॥)

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।